न्यायालय उपखण्ड अधिकारी,नैनवॉ जिला बून्दी(राज0)

दायर दिनांकः 24.11.2022

प्रार्थना–पत्र संख्या : 288/2022

पीठासीन अधिकारी :– श्रीमती प्रीति मीणा

GCMS NO:- 2022/512

1. करतुरा आ0 रामकुंवार जाति खाती नि0 गुजरियाखेडा तहसील नैनवॉ।
2. केसरा आ0 रामकुंवार जाति खाती नि0 गुजरियाखेडा तहसील नैनवॉ।
3. राधेश्याम आ0 रामकुंवार जाति खाती नि0 गुजरियाखेडा तहसील नैनवॉ।
4. बनवारी आ0 रामकुंवार जाति खाती नि0 गुजरियाखेडा तहसील नैनवॉ।
5. रमेश आ0 रामकुंवार जाति खाती नि0 गुजरियाखेडा तहसील नैनवॉ।
6. सीताराम आ0 रामकुंवार जाति खाती नि0 गुजरियाखेडा तहसील नैनवॉ।

–प्रार्थीगण–

बनाम

1. महावीर आ0 शोजीलाल जाति मीणा नि0 गुजरियाखेडा तहसील नैनवॉ।
2. सत्यनारायण आ0 शोजीलाल जाति मीणा नि0 गुजरियाखेडा तहसील नैनवॉ।
3. सीताराम आ0 शोजीलाल जाति मीणा नि0 गुजरियाखेडा तहसील नैनवॉ।
4. गोकूल आ0 श्रवण जाति बैरवॉ नि0 गुजरियाखेडा तहसील नैनवॉ।
5. पाना बाई पत्नी बनवारी जाति बैरवॉ नि0 सादेडा तहसील नैनवॉ।
6. रामकिशन आ0 भंवरलाल जाति बैरवॉ नि0 गुजरियाखेडा तहसील नैनवॉ।
7. मंजू बाई पत्नी मुकेश जाति बैरवॉ नि0 सादेडा तहसील नैनवॉ।
8. भूस्वामी जर्ये तहसीलदार साहब नैनवॉ तहसील नैनवॉ।

–अप्रार्थीगण–

प्रार्थना पत्रः– अंतर्गत धारा 251क आर.टी एक्ट

उपस्थिति–

प्रार्थीगण की ओर से अधिवक्ता श्री राजेश कुमार ठाकूर, श्री रजनीश कुमार शर्मा।

अप्रार्थीगण संख्या 1 लगायत 3 की ओर से अधिवक्ता श्री शांतिलाल मीना।

निर्णय दिनांक 29.09.2025

:–निर्णय–:

संक्षेप में प्रार्थना पत्र का कथन इस प्रकार है कि ग्राम गुजरियाखेडा तहसील नैनवॉ की जमाबन्दी संवत् 2076–2079 की अन्तिम चौसाला वर्ष 2021 के अनुसार भूमि खसरा संख्या 186 रकबा 1.0922 हैक्टयर, खसरा नम्बर 185 रकबा 0.7362 हैक्टयर, खसरा नम्बर 194 रकबा 0.9223 हैक्टयर भूमि स्थित है। खसरा नम्बर 186 प्रार्थीगण के सम्मिलित खातेदारी व आधिपत्य की भूमि है जिसकी जमाबन्दी मे कालीबाई का भी नाम दर्ज है जिसका देहावसान हो चुका है जिसके वारिस प्रार्थीगण बनवारी, रमेश व सीताराम प्रार्थीगण संख्या 4 लगायत 6 है। इसी प्रकार खसरा नम्बर 185 अप्रार्थीगण संख्या 1 लगायत 3 की खातेदारी भूमि है तथा खसरा नम्बर 194 अप्रार्थीगण 4 लगायत 7 की खातेदारी भूमि है।

प्रार्थना पत्र की चरण संख्या 1 मे वर्णित प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 186 मे पहुंचने का एकमात्र रास्ता ग्राम गुजरियाखेडा से निमोद जाने वाले रास्ते से उत्तर की ओर फटकर खसरा संख्या 195 जो गै0मु0 रास्ते की भूमि है एवं खसरा नम्बर 185 व 194 की मेड पर होकर उत्तर की ओर चलता हुआ प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि मे जाता है जो करीब 12 फीट चौडा है जिसमे होकर प्रार्थीगण पूर्वजों के समय से ही हल, कूली, बैलगाडी व अन्य कृषि यंत्रों तथा फसल लाने ले जाने के लिए आवागमन के रूप मे उपयोग उपभोग करते चले आ रहे है जिसका सुखाधिकार भी प्रार्थीगण को प्राप्त हो चुका है। उक्त रास्ते के अलावा अन्य कोई दुसरा रास्ता प्रार्थीगण की भूमि पर जाने के लिए नही है। उक्त रास्ते को प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न परिशिष्ट अ मे लाल स्याही से दर्शाया हुआ है।

यह कि अप्रार्थीगण गत सप्ताह से अवैद्य व अनाधिकृत रूप से रास्ते मे आने जाने मे रूकावट डालने लगे है व बाधा खडी कर रहे है। रास्ते को सकडा कर ग्रेवल डालने मे भी रूकावट डालते है। रास्ता 12 फीट ही चौडा है जो सकडा पडता है जिसे 15 फीट चौडा किया जाना चाहिए। अप्रार्थीगण 1 लगायत 7 के विरूद्ध इस आशय से स्थायी निषेधाज्ञा जारी की जावे कि वे परिशिष्ट अ मे लाल स्याही से दर्शाये गए रास्ते मे कोई अवरोध नही करें। उक्त रास्ते को राजस्व रिकॉर्ड मे दर्ज करने

हेतु जितनी भी भूमि जिस भी खातेदारी की आती है, उसका युक्ति युक्त प्रतिकर प्रार्थीगण अदा करने को तैयार है।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थीगण संख्या 4 लगायत 7 की तलबी दिनांक 3.2.2023 की आदेशिका मे होना अंकित है। बावजूद उसके आदिनांक तक ना तो अप्रार्थीगण 4 लगायत 7 उपस्थित हुए और ना ही उनकी ओर से कोई अधिवक्ता उपस्थित हुए। अतः बावजूद सूचना अनुपस्थित रहने से उनके विरूद्व एकपक्षीय कार्यवाही की जाती है। अप्रार्थीगण संख्या 2 लगायत 3 कर ओर से अधिवक्ता श्री बंशीलाल गुर्जर द्वारा दिनांक 3.2.2023 को अण्डरटेकिंग ली गयी थी। लगभग 2 वर्ष 6 माह का समय व्यतीत होने पर दिनांक 18.08.2025 को वकालातनामा पेश कर जवाब पेश करने हेतु अवसर चाहा गया। जवाब हेतु अवसर प्रदान करने के बावजूद भी उनके द्वारा आदिनांक तक जवाब प्रस्तुत नही किया गया तथा आज पुनः जवाब पेश करने हेतु अवसर चाहा गया। धारा 251 क एक समरी ट्रायल प्रार्थना पत्र होता है लेकिन लगभग 2 वर्ष 6 माह मे अप्रार्थीगण संख्या 1 लगायत 3 अधिवक्ता द्वारा वकालातनामा पेश करना तथा पर्याप्त अवसर देने के बावजूद भी जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत नही करना कहीं ना कही पत्रावली मे विलम्ब करवाना प्रतीत होता है। चुंकि पत्रावली वर्ष 2022 से लंबित है तथा पर्याप्त अवसर देने के बावजूद भी अप्रार्थीगण संख्या 1 लगायत 3 अधिवक्ता द्वारा जवाब प्रार्थना पत्र पेश नही करने से उनका जवाब प्रार्थना पत्र पेश करने का अवसर बंद किया जाता है। अप्रार्थी संख्या 8 तहसीलदार नैनवॉ की रिपोर्ट प्राप्त हो चुकी है।

बहस प्रार्थना पत्र सूनी गयी। प्रार्थीगण के विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रार्थना पत्र मे वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 186 मे पहुंचने का एकमात्र रास्ता ग्राम गुजरियाखेडा से निमोद जाने वाले रास्ते से उत्तर की ओर फटकर खसरा संख्या 195 जो गै0मु0 रास्ते की भूमि है एवं खसरा नम्बर 185 व 194 की मेड पर होकर उत्तर की ओर चलता हुआ प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि मे जाता है जो करीब 12 फीट चौडा है जिसमे होकर प्रार्थीगण पूर्वजों के समय से ही हल, कूली, बैलगाडी व अन्य कृषि यंत्रों तथा फसल लाने ले जाने के लिए आवागमन के रूप मे उपयोग उपभोग करते चले आ रहे है जिसका सुखाधिकार भी प्रार्थीगण को प्राप्त हो चुका है। उक्त रास्ते के अलावा अन्य कोई दुसरा रास्ता प्रार्थीगण की भूमि पर जाने के लिए नही है। उक्त रास्ते को अप्रार्थीगण द्वारा जबरन बंद कर दिया जिसे राजस्व नक्शे मे दर्ज कर उक्त रास्ते को बहाल करवाया जावे। साथ ही निवेदन किया कि श्रीमान तहसीलदार साहब नैनवॉ द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट दिनांक 16.06.2025 अनुसार भी यदि प्रार्थीगण को रास्ता दिया जाता है, तो कोई आपत्ती नही होगी।

हमने प्रार्थीगण के विद्वान अधिवक्ता द्वारा की गयी बहस को ध्यानपूर्वक सूना। पत्रावली मे संलग्न दस्तावेजो, तहसीलदार नैनवॉ की रिपोर्ट आदि का अवलोकन किया तथा पाया कि प्रार्थीगण की भूमि खसरा नम्बर 186 पर जाने के लिए अन्य कोई वैकल्पिक लघुत्तम रास्ता उपलब्ध नही होने से तहसीलदार नैनवॉ द्वारा प्रेषित रिपोर्ट दिनांक 16.06.2025 के अनुसार रास्ता दिया जाना उचित प्रतीत होता है अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर तहसीलदार नैनवॉ की रिपोर्ट दिनांक 16.06.2025 के अनुसार ग्राम गुजरियाखेडा स्थित प्रार्थीगण की भूमि खसरा नम्बर 186 पर जाने के लिए ग्राम गुजरियाखेडा से निमोद जाने वाले रास्ते पर स्थित खसरा नम्बर 185 के दक्षिण पूर्व मे बने हुए बाथरूम की भूमि को छोडते हुए तथा खसरा नम्बर 195 जो कि वर्तमान मे गै0मु0 रास्ते के रूप मे ही राजस्व रिकॉर्ड मे दर्ज है, को छोडते हुए खसरा नम्बर 185 व 194 की मेड पर होकर निम्नानुसार रास्ता दिये जाने के आदेश दिया जाकर नक्शा ट्रेस जिसमे रास्ता दर्शाया गया है, को परिशिष्ट क नाम दिया गया है, जो इस निर्णय का अभिन्न अंग होगा।

रास्ते में प्रयुक्त होने वाली भूमि का विवरणः—

ख0 नं0	खातेदार	किस्म	लम्बाई	x	चौडाई	क्षेत्रफल
185	महावीर वगै0 (खातेदारी)	नहरी II	442.2 फीट	x	7.5 फीट	3316.5 वर्गफीट अर्थात 0.0308 हैक्टयर
194	गोकूल वगै0 (खातेदारी)	नहरी II	349.8 फीट	x	7.5 फीट	2623.5 वर्गफीट अर्थात 0.0244 हैक्टयर

कुल क्षेत्रफल = 5940 वर्गफीट या 0.0552 हैक्टयर

तहसीलदार नैनवॉ को आदेशित किया जाता है कि नियमानुसार प्रतिकर राशि राजकोष में जमा होने के उपरांत परिशिष्ट क के अनुसार रास्ता राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज कर मौके पर रास्ता बहाल करें। निर्णय आज दिनांक 29.09.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर हस्ताक्षर कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी नैनवॉ

NIC-BHUNAKSHA

राजस्थान सरकार

खसरा नक्शा एवं जमाबंदी(प्रतिलिपि)

दिनांक : 10/06/2025 10:26:02 AM

जिला : बूंदी

पटवार मंडल : धाकड़ा

तहसील : नैनवाँ

भू. अ. नि. क्षेत्र : बांसी

ग्राम : गुढा टिपा कलां

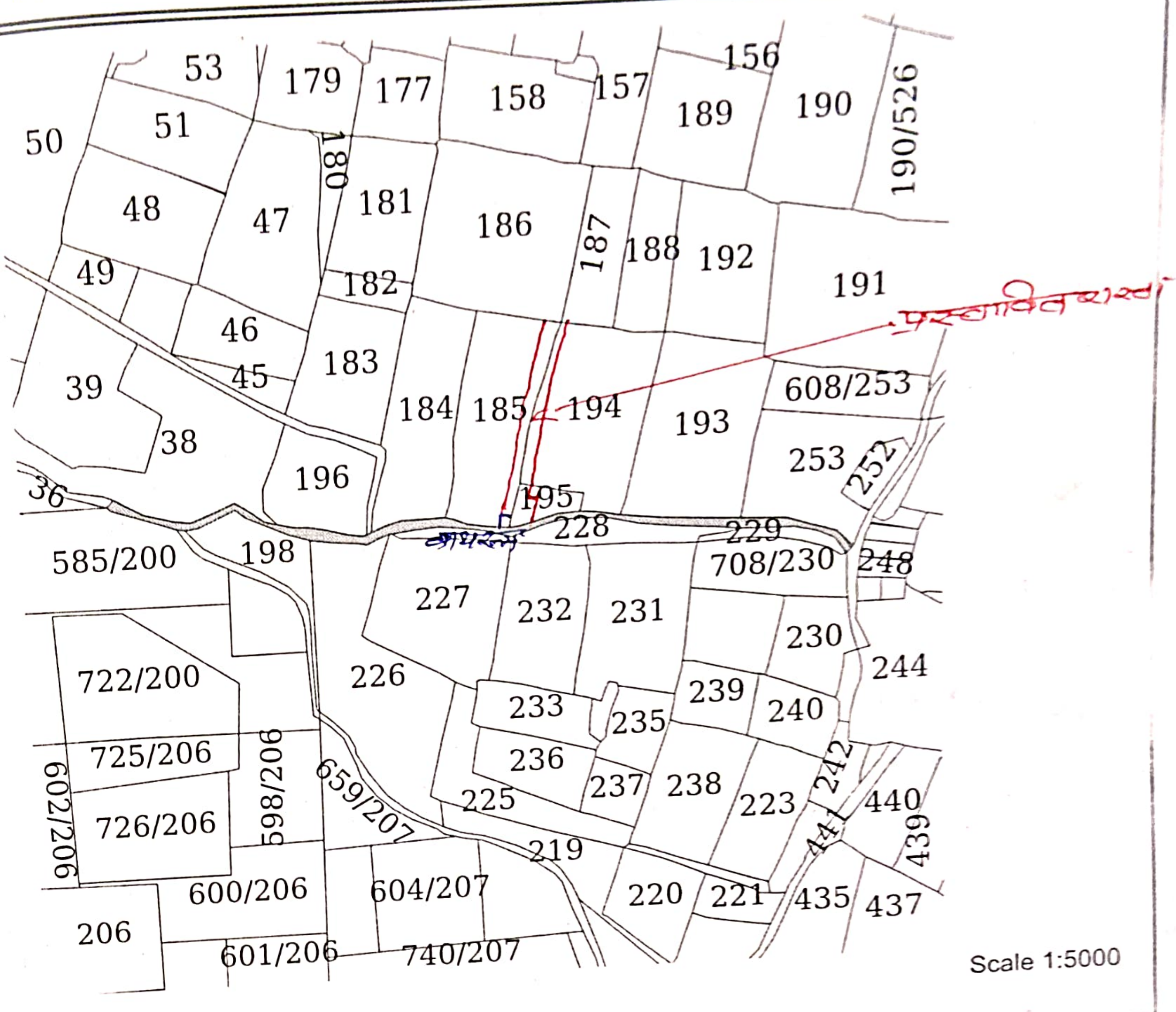

रास्ता हेतु जारी

उपखण्ड अधिकारी
नैनवां (बून्दी)

तहसीलदार
10/6/25

दीपक कुमार शर्मा
पटवारी
प0 म0 धाकड़ा
तह0 नैनवां (बून्दी)
10/06/25